

l jkguh; dk; l
cs & ukv
ehfM; k l sy] xks Mk
fnukd 25-11-2022

fofHkUu vfHk; kxka ea okfNr vUrtuin; 'kkfrj tky&l kt o dW jfpr nLrkost r\$ kj
dj Qthz csukek djkus o gR; k dk c; kl djus vkfn t\$ k t?kU; vij/k/k djus dk eq;
vkjksi h vfHk; ä fxj¶rkj&

ifyl mi egkfujh{k d nphi kVu e. My us fxj¶rkj djus okyh Vhe dks mRI kgc/kU gurg
25|000@& : i; s ds uxn ij Ldkj l sfd; k ij Lkur&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर व एस0ओ0जी0 टीम को मु0अ0सं0-240/16 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भादवि0 व मु0अ0सं0-1032/20 धारा 307 भादवि0 व 3/5 विस्फोटक अधि0 थाना कोतवाली नगर गोण्डा से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बृजेश कुमार अवस्थी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली नगर व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम ने सुरागरसी-पतारसी कर मुखबिर खास की सूचना पर उपरोक्त मुकदमों में वांछित अभियुक्त बृजेश कुमार अवस्थी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने जालसाजी व कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा कराने व हत्या का प्रयास करने जैसा आदि जघन्य अपराध किये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत था।

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन मण्डल द्वारा गिरफ्तार करने वाली को0नगर व एस0ओ0जी0 टीम गोण्डा को 25,000/- रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

fxj¶rkj vfHk; ä&

01. बृजेश कुमार अवस्थी पुत्र स्व0 मुरलीधर अवस्थी निवासी ग्राम भदुआतरहर थाना कोतवाली देहात गोंडा हालपता म0नं0 1126 कचहरी स्टेशन रोड सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर गोंडा।

vfHk; Dr dk vki jkf/kd bfrgkl

01. मु0अ0सं0-222/98 धारा 406/420 आईपीसी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-736/08 धारा 419/420 आईपीसी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. एनसीआर-271/10 धारा 504/506 आईपीसी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-1090/11 धारा 147/423/504/506 आईपीसी थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-42/13 धारा 294/507 आईपीसी थाना को0 नगर गोंडा।
06. मु0अ0सं0-996/14 धारा 193/196/199/200/465/471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा।
07. मु0अ0सं0-126/15 धारा 394 भादवि0 थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ।
08. मु0अ0सं0-343/15 धारा 419/420/467/468 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा।
09. मु0अ0सं0-240/16 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा।
10. मु0अ0सं0 799/18 धारा 409/419/420/466/467/468/471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा।
11. मु0अ0सं0 1032/20 धारा 307 भादवि0 व 3/5 विस्फोटक अधि0 थाना को0 नगर गोंडा।
12. मु0अ0सं0 534/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा।
13. मु0अ0सं0 537/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा।
14. मु0अ0सं0 538/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा।

15. मु0अ0सं0 541 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
16. मु0अ0सं0 542 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
17. मु0अ0सं0 556 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
18. मु0अ0सं0 398 / 18 धारा 379 / 352 भादवि0 व 4 / 10 वन संरक्षण अधि0 थाना को0 देहात गोंडा ।
19. मु0अ0सं0 641 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
20. मु0अ0सं0 613 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
21. मु0अ0सं0 644 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
22. मु0अ0सं0 771 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
23. मु0अ0सं0 720 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
24. मु0अ0सं0 744 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
25. मु0अ0सं0 750 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
26. मु0अ0सं0 751 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
27. मु0अ0सं0 752 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
28. मु0अ0सं0 783 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
29. मु0अ0सं0 844 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।
30. मु0अ0सं0 852 / 22 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि0 थाना को0 नगर गोंडा ।

fxj 1rkj drk7 Vhe%&

01. प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा ।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 संतोष कुमार सिंह मय टीम जनपद गोण्डा ।

dk; kly; ifyl v/khfk d tuin xks Mk fnuk d 25-11-2022

'kkfrHkx dh vk'kadk ds eisutj ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 okjMh vfhk; ä fxj rkrkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01, थाना धानेपुर पुलिस ने 02, थाना खरगूपुर पुलिस ने 02, थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

voYk 'kjk ds fu"d"kl] fcØh o ifjogu ds fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xbl dk; bkgh&

01- Fkkuk dVjkcktkj }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. मनोज पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम सिसईजोगा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-496/22, 02. राम कपरिया पुत्र स्व० रामनरायन कपरिया निवासी ग्राम छोटकाईपुरवा मौजा जगतापुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-497/22, 03. ननके पुत्र रामचाल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बाबा बगिया मौजा बैरमपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-498/22, 04. देवी प्रसाद पुत्र रामकेवल उम्र करीब 39 वर्ष निवासी ग्राम पहाडापुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-499/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk [kjxi gj }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. हीरालाल पाण्डेय पुत्र रिखीराम पाण्डेय निवासी ग्राम सिसई माफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 346/22, 02. अमित कुमार सोनी पुत्र कन्हैया लाल सोनी निवासी ग्राम सिसईमाफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 347/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03- Fkkuk dkOngkr }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. अनिल तिवारी पुत्र स्व० अंजनी तिवारी निवासी दामोदर पुरवा, माधवपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-549/22, 02. श्रीमती बिट्टा पत्नी राधेश्याम निवासी ग्राम काजी तरहर, सराय जरगर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-550/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04- Fkkuk dksrokyh uxj }kjk dh x; h dk; bkggh&

01. दीपू पुत्र स्व० माता प्रसाद नि० गिर्द गोण्डा राधे पुरवा थाना को०नगर गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-848/22 धारा 60 आबकारी अधि०, 02. राजेश कुमार सोनकर पुत्र स्व० रामफेरन निवासी गिर्द गोण्डा राधेपुरवा थाना को०नगर गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व बनाने का उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-849/22, धारा 60, 60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05- Fkkuk mejhcxexat }kjk dh x; h dk; bkggh&

01. चाँद बाबू पुत्र समसाद अली निवासी उमरी वाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-267/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06- Fkkuk rjcxat }kjk dh x; h dk; bkggh&

01. बन्नू मिश्रा पुत्र रामपति मिश्रा नि० चन्दन तारा दा० किन्धौरा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-453/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

l jkguh; dk; l
cs ukv
ehfM; k l sy] tuin xks Mk
fnukrd 25-11-2022

jk& tekus ds fy, l k'ky ehfM; k ij voYk repk dk cn'ku djus okyk repk l fgr
fxj rkrj %&

सोशल मीडिया पर थाना कौडिया क्षेत्र के अन्तर्गत एक व्यक्ति का अवैध तमंचा का प्रदर्शन करने का फोटो वायरल हुआ था। जिसमें वह व्यक्ति रौब जमाने के लिए असलहा का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फोटो के वायरल होने पर मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने तत्काल थानाध्यक्ष कौडिया को कार्यवाही कर अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने व उस अवैध तमंचा को बरामद करने के लिये कड़े निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस ने अवैध तमंचा का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्त रोहित शुक्ला को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने रौब जमाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर अवैध असलहे का प्रदर्शन किया था।

fxj rkrj vfHk; iä&

01. रोहित शुक्ला पुत्र रामेश्वर शुक्ला निवासी ग्राम छिरास थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

cjkenxh&

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

i athkr vfHk; ksx&

01. मु0अ0सं0- 298/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

fxj rkrj drk] Vhe&

उ0नि0 अश्वनी कुमार दूबे मय टीम।

l jkguh; dk; l
cs ukv
ehfM; k l sy] tuin xks Mk
fnukd 25-11-2022

voŷk eknd i nkFkZ ds l kFk 01 vfHk; iä fxj rkrkj &

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त राजा उर्फ बटन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 65 टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj rkrkj vfHk; iä &

01. राजा उर्फ बटन पुत्र अजीज निवासी महाराजगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

i athkr vfHk; kx &

01. मु०अ०सं०-853/22, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

cjkenxh &

01. 65 टेबलेट अल्प्राजोलम।

fxj rkrkj drk &

उ०नि० भानुप्रताप सिंह मय टीम।

l jkguh; dk; l
cs ukv
ehfM; k l sy] tuin xks Mk
fnukd 25-11-2022

voŷk eknd i nkFkZ ds l kFk 01 vfHk; iä fxj rrkj &

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त बल्लू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 300 नशीली टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj rrkj vfHk; iä &

01. बल्लू पुत्र इब्राहिम निवासी पटान टोला कस्बा व थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

i athkr vfHk; kx &

01. मु0अ0सं0-500/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

cjkenxh &

01. 300 टेबलेट अल्प्राजोलम।

fxj rrkj drk &

उ0नि0 जयहिन्द मय टीम।

l jkguh; dk; l
cs ukv
ehfM; k l sy] tuin xks Mk
fnukd 25-11-2022

voŷk eknd i nkFkZ ds l kFk 01 vfHk; iä fxj rrkj&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त राजाबाबू उर्फ बाज पुत्र ताज मोहम्मद उर्फ नंगू निवासी मो0नई बाजार थाना करनैलगंज को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 165 नशीली टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj rrkj vfHk; iä&

01. राजाबाबू उर्फ बाज पुत्र ताज मोहम्मद उर्फ नंगू निवासी मो0नई बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा

i athkr vfHk; ksx&

01. मु0अ0सं0-561/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

cjkenxh&

01. 165 टेबलेट अल्प्राजोलम।

fxj rrkj drk&

उ0नि0 दिवाकर मिश्रा मय टीम।